ISSN 2278 - 0327

बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदानों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. राम बाबू
(सहायक प्राध्यापक)
राजनीति विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर
छत्तीसगढ़ (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

डॉ. अमित कुमार गुप्ता
(सहायक प्राध्यापक)
राजनीति विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर
छत्तीसगढ़ (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

प्रस्तावना-

भारत में जब भी सामाजिक एवं राजनीतिक योगदानों की चर्चा होगी उसमें सबसे पहले बी. आर. अम्बेडकर का नाम सर्वप्रथम होगा क्योंकि आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात उनके बिना नहीं की जा सकती हैं। वो एक संविधान निर्माता, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, चिन्तक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, गरीबों के मसीहा और भारतरत्न और शिल्पकार थे तथा उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करनें के लिए समर्पित कर दिया जैसे जातिवाद, छुआछूत, गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक एवं राजनीतिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष जीवन भर करते रहें। भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में बी. आर. अम्बेडकर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे समाज एवं संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक, भविष्य दृष्टा, दूरदर्शी एवं महान व्यक्तित्व के विचारक थे, जिन्होनें भारतीय सविधान के निर्माण के साथ-साथ भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लानें जैसे कार्यों को बखूबी किया। बी. आर. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जिनका प्रभाव स्वतंत्रता - पूर्व तथा पश्चात् भी देश की संवैधानिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्र में रहा तथा साथ ही उन्होंने महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा कार्य किया और साथ ही लोगों को प्रेरित भी किया कि आप 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो' क्योंकि इसी के माध्यम से समाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सामाजिक एवं राजनीतिक समानता को भी सशक्त बनाया जा सकता हैं और साथ ही उनका मानना था कि एक स्वास्थ्य समाज का निर्माण एक सशक्त नारी के द्वारा ही संभव हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नही होता बल्कि व्यक्ति को उसके कर्म एवं कर्तव्य उसको महान बनाते हैं।

मूल शब्द: भीमराव अम्बेडकर, सविधान, जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान।

बी. आर. अम्बेडकर का जीवन दर्शन-

इतिहास में कभी कोई ऐसा युग नहीं रहा होगा जब मानव जाति अपने तर्क, कर्म एवं बुद्धि के बल पर समाज मने व्याप्त रूढ़िवादी मान्यताओं, परम्पराओं, जातीय भेदभाव एवं ऊंच-नीच, असमानता आदि की धारणाओं पर कड़ा प्रहार न किया हो। मनुष्य हमेशा सत्य की खोज में निरन्तर प्रयासरत रहा है और उनको नेतृत्व प्रदान करनें के लिये समय - समय पर बी. आर. अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व इस धरती पर अवतरित होते रहे हैं। भारतीय लोग कभी इतने भयानक दौर से नहीं गुजरे होंगें, जितना वे स्वतंत्रता संग्राम के समय हुए। उस समय वे अपने आपको नितांत बेबस, और असहाय महसूस कर रहे थे। क्योकिं गुलामी की जकड़न एवं मानसिकता नें सामाजिक एवं राजनीतिक, जातीय बुराइयाँ, भेदभाव, ऊंच-नीच की विभीषिकाओं ने उनकी मानसिकता को कुंठित कर दिया और वे अपने आपको दिशाविहीन समझनें लगे थे, लेकिन ऐसे समय में बी. आर. अम्बेडकरर उन लोगों के लिए एक रोशनी बन कर आये। उनकी चेतनशीलता और मार्गदर्शन की वजह से धन सम्पन्न एवं ऊंची जाति के लोगों द्वारा किये जा रहें अत्यचार से दलित एवं मजदूर वर्ग समूचे भारत में संगठित होकर एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रादुर्भाव हुआ।'

भारत के संविधान निर्माता, भारतरत्न, समाज सुधारक एवं चिंतक भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई रामजी सकपाल था। वे अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। वे महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले मे स्थित अम्बाव्डे़ नामक नगर से भी ताल्लुक रखते थे। उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। वे हिंदू के महार जाति से आते थे जो अछूत के रूप में माना जाता था। उनके एवं उनकी जाति के साथ सामाजिक- राजनीतिक और आर्थिक रूप से बड़ा गहरा भेदभाव किया जाता था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनको अपना बचपन कष्टों में गुजारना पड़ा। संघर्ष एवं कष्टों की आग में तपकर उन्होंने न केवल स्वयं का विकास किया अर्थात भारत के समग्र वंचित, शोषित समाज के लिए विकास का नया वातावरण निर्मित एवं सृजित किया। वे नई

मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रेरणास्त्रोत, मार्गदर्शक, समाज के सभी वंचित वर्गों के मसीहा एवं पोषक थे। वे आधुनिक भारत के महानतम नायक थे, उनके क्रियाकलापों एवं विचारों में किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं झलकता था।

बाबा साहब के नाम से दुनियाभर में लोकप्रिय डॉ. बी.आर. मराव अम्बेडकर एक समाज सुधारक, दलित राजनेता, महामनीषी, क्रांतिकारी योद्धा, लोकनायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व होने के साथ ही विश्व स्तर के विधिवेत्ता व भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार एवं वास्तुकार थे। बी. आर. अम्बेडकर विलक्षण एवं अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, भलाई, नियमितता, दृढ़ता से युक्त स्वभाव का एक सुन्दर मेल था। वे अनन्य कोटि के नेता थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत के जनकल्याण, कामना, संतुलित समाज के निर्माण में लगा दिया। उस समय भारत के लगभग अस्सी प्रतिशत दलित सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित थे, उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही उनके जीवन का संकल्प था। वे भारतीय राजनीति एवं समाज के लिए एक धुरी की तरह थे, जो आज दुनियाभर के लिये एक मिसाल हैं[1] ।

अम्बेडकर एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि 'ग्रामीणों को जाति, धर्म, के भेदभाव के बिना सभी को स्वामित्व मिलना चाहिए इससे कोई भूमि मालिक नहीं होगा, कोई किरायेदार और कोई भूमिहीन मजदूर नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर समाजवाद पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते है कि 'समाज का आर्थिक ढांचा जो श्रम के हित में काम करेगा, वह समाजवाद है'। वह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के विरोधी थे, अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से, उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से 'राज्य समाजवाद' की स्थापना के लिए बात कही थी। उनका विचार था कि बिना समाजवाद के सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना को साकार नही किया जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने समाजवाद की स्थापना पर बल देते हैं।

बी. आर. एक सच्चे लोकतंत्रवादी एवं देशभक्त थे। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता हैं। वे अपने पूरे जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर एक न्याय संगत भारतीय समाज की स्थापना के लिए निरंतर एवं कठिन संघर्ष किया। लोकतंत्र के माध्यम से ही तर्कसंगत आधार पर अल्पसंख्यको की समस्याओं को हल करने के लिए धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया गया। धर्मनिरपेक्षता के विषय में सविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों में उल्लेख मिलता है, जिसके माध्यम से सभी को अपनें – अपने धर्म का पालन करनें तथा आस्था का अधिकार देता है।

उनका मानना था कि, किसी भी देश की स्वतंत्रता का अर्थ भौगोलिक इकाई की स्वतंत्रता नहीं है। बल्कि उस देश के शोषित वर्गों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान एवं कल्याण से होता है। बी. आर. अंबेडकर के अनुसार 'सामाजिक अंतरात्मा के बिना', लोकतंत्र अपनी आत्मा के स्वरुप को खो देता है और कोई भीं समाज एक तर्कपूर्ण समाज नहीं हो सकता है, जब तक कि सामाजिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। उन्होंने आगे कहा कि , 'सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप से ही समाज का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्धारित होता है। आगे वो कहते है कि 'सविधान चाहे जितना अच्छा हो मगर उसे इस्तेमाल करनें वाले लोग यदि बुरे होंगें तो सविधान अंततः बुरा ही साबित होगा'[2]।

बी. आर. अम्बेडकर के सामाजिक योगदान–

बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक योगदान का उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करना ताकि सभी लोग अपने सामाजिक अधिकार, भाई चारे एवं आत्मसम्मान के साथ रह सकें। उन्होंने भारतीय समाज के सभी वर्गों, समुदायों, वंचितों, गरीबों और महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए सविधान में उन मूल्यों को स्थापित किया जिससे सामाजिक सुरक्षा की भावना स्थापित हो सके और यही नही उन्होंने सामाजिक मूल्यों के साथ–साथ राजनीतिक मूल्यों पर भी जोर दिया और वे अपनें सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोणों को लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक करनें और लोगों को अपने सम्मान और अधिकारपूर्ण जीवन जीनें के लिए संघर्ष करना सिखाया जिससे वे अपनें अधिकारों और आत्मसम्मान को बचा सके, इसके लिए उन्होंने कई सामाजिक एवं राजनीतिक विचार प्रस्तुत करनें के लिए उन्होंने अनेक किताबें लिखी जैसे– अननिहिलेशन ऑफ़ कास्ट (1936), फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1939), व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल (1945), व्हू वेयर द सुद्रास (1946), इसके आलावा मुखनायक, जनता और प्रबुद्ध भारत तथा बहिष्कृत भारत आदि संपादक के रूप में कार्य किया और इसके माध्यम से अपनें विचारों को समाज तक पहुचानें का कार्य किया। उन्होंने कई सत्याग्रहों में भी हिस्सा लिया जैसे कालाराम मंदिर सत्याग्रह, चावदार पौंड सत्याग्रह, पूणे संधि, बौद्ध धर्म में रूपांतरण आदि में उनका मुख्य योगदान रहा जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व से परिचय कराता है। वे समाज में व्याप्त शोषित एवं दमनकारी और निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा उनके निरंतर प्रयासों नें समाज में एक नई चेतना का सृजन एवं संचार हुआ। इसलिए उन्होंने दृढनिश्चय किया कि समाज में विद्धमान समस्याओं से समाज के उन लोगों को जो शोषित, वंचित हैं, उनको जागरूक करने तथा उनके अधिकारों को दिलानें के लिए जीवन पर्यन्त अपनी लड़ाई जारी रखा। उनके यही विचार, आधुनिक सोच, सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता समाज के वंचित वर्गों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ तथा इसलिए

उन्हें आज समाज एवं युवा पीढ़ी के लिए एक महान समाज सुधारक, प्रेरणास्त्रोत और मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं [3]।

आधुनिक भारतीय चिन्तक भीमराव अम्बेडकर दलितों, वाचितों, शोषितों और महिलाओं के लिए एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य किया और वे स्वयं दलित थे बचपन से ही जाति आधारित उत्पीडन और शोषण तथा अपमान से उन्हें गुजरना पड़ा एक बार उनके विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक नें सवाल किया कि 'तुम पढ़ लिखकर क्या बनोगे' तब उन्होंने जवाब दिया कि 'मै पढ़ लिख कर वकील बनूँगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा तथा छुआछुत को समाप्त करूँगा'

वो सामाजिक परिवर्तन के शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास करते थे। वे सामाजिक परिवर्तन की विकासवादी प्रक्रिया में किसी बदलाव के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम पर ज्यादा जोर देते थे। उनका मानना था कि सवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था जैसे कारक सामाजिक जीवन में परिवर्तन के लिए अपरिहार्य हैं। यह संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था उन सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थानों को बनाए रखने में मदद करता हैं। वह सामाजिक एवं सांप्रदायिक बदलाव के आक्रामक तरीके के खिलाप थे, क्योंकि यह विकास को रोकता है और समाज में अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करता है। उनका कहना था कि आतंक, बल और जोर जबरदस्ती के आधार पर कल्याणकारी राज्य विकसित नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार एक शांतिप्रिय समाज एवं संस्कृति के लिए हिंसक पद्धति न केवल अनुचित है, बल्कि अतार्किक और अनैतिक भी है। इससे समाज में सामाजिक समरसता स्थापित नही किया जा सकता हैं [4]।

उनकी यह अभिलाषा थी कि संवैधानिक व्यवस्थाएं वंचित, शोषित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता प्रदान करें और उन्हें लोकतंत्र में सहभागी बनाए जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में अवसरों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है. आरक्षण का सिद्धांत वहीं से आता है। यह करोड़ों की आबादी वाले भारत में वंचित जाति समूहों के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए नहीं है, बल्कि आरक्षण का मक़सद यह है कि वंचित जातियों को महसूस हो कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी हिस्सा है और देश चलाने में उनका भी योगदान है। इसलिए संविधान अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, वंचितों सभी का है [5]।

जातिगत छुआछूत एवं अस्पृश्यता सम्बन्धी विचार-

भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात् समाज में अनेक समस्याएं और चुनौतियाँ मौजूद थी जैसे धार्मिक भेदभाव, रीतिरिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं, कुरीतियाँ, छुआछूत, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, बहिष्कार, जातिवाद, आदि ऐसी कई सामाजिक समस्याएं थी जो लोगों के विकास को अवरुद्ध करनें का कार्य करती रही है और मौजूदा समय में भी समाज में इन समस्याओं का सम्पूर्ण निराकरण नही हो पाया हैं, आज भी ये समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं, हालाँकि यह बहुत अच्छा रहा कि इन समस्यायों के निवारण के लिए समय - समय पर अनेक महान और प्रबुद्ध लोगों ने जन्म लिया, और उनके दृढ निश्चय नें सामाजिक बुराइयों को दूर करनें में मदद किया। उन्ही महान और प्रबुद्ध लोगों में से एक थे बी. आर. अम्बेडकर जिन्होनें समाज में व्याप्त समस्याओं को स्वयं देखा और महसूस किया और उनके द्वारा इन समस्याओं को दूर करनें के लिए किये गये संघर्षों एवं योगदानों की जितनी सराहना किया जाय उतना कम हैं। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया तथा सविधान में सभी के लिए न केवल समान अधिकारों की बात की बल्कि उन्होंने सविधान में उनका प्रावधान भी किया और उनके अनुसार समाज में जातिवाद और छुआछूत जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। जाति व्यवस्था ने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया है। इसने हिंदुओं की नैतिकता और मानसिकता को भी नष्ट कर दिया है। रक्त की शुद्धता और वंशावली की शुद्धता आदि जाति व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थीं। इसीलिए समाज में अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंधित था। क्योकि समाज के अनुसार एक वर्ग को दूसरे वर्ग में शादी करना अपराध माना जाता था, हालाकिं यह समस्या आज उतना नही है जितना पहले थी, हालाँकि समाज में सामाजिक समस्याएं पहले की आपेक्षा कम जरुर हुई है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नही। अत: वो कहते थे कि समाज में जाति की उत्पत्ति मूलत: छुआछूत और अछूत की गलत अवधारणा का परिणाम थी। समाज में व्याप्त वर्ग और जाति आधारित व्यवस्था इन्सान को विकृत बनाती है, तथा एक दूसरे के बीच सामाजिक सदभाव और पारस्परिक सहयोग कम हो जाता है।

उनके अनुसार धार्मिक दासता का अंतिम चरण अस्पृश्य है। हिंदू धर्म ने समाज को जन्म के आधार पर वर्गीकृत किया और लोगों को छुआछूत के आधार पर वर्गीकृत किया। समाज नें अछूतों के साथ दमनकारी और शोषणकारी तरीके से व्यवहार किया। उन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों से वंचित एवं दूर रखा गया और उनके जीवनयापन साथ ही उनके दैनिक कार्यों के तरीके को बहुत जटिल बना दिया। उनके अनुसार जब तक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना और साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित नही किया जाता, तब तक लोगों में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता को कायम नही किया जा सकता हैं। समाज को छुआछूत जैसी सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त किया जाना चाहिए। एक ऐसे समाज की स्थापना की जानी चाहिये, जहाँ पर सभी लोग एक साथ रहे और उनके साथ कोई भेदभाव न हो, सभी को सह-शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, सार्वजनिक

स्थानों पर पानी इकट्ठा करने की स्वतंत्रता आदि समान अधिकार होना आवश्यक है6 '।

भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय के मार्गदर्शक एवं प्रहरी थे। वे दलित समाज के चेतनाशील एवं अगुआ थे जिन्होनें मानव कल्याण के मूलभूत सिद्धांत को अपनाकर, उनमें जागृति पैदा कर समाज के प्रतिनिधि बन गए। सत्य तो यह है कि कभी उनको पद, सत्ता, यश आदि के लालच नें उनको आकर्षित नहीं किया। वे अपनें आपको समाज कल्याण हेतु समर्पित रहे। हर मनुष्य में महान कार्यों को करनें के लिए उसके अन्दर दृढ निश्चय तथा आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है, और समाज को संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर जीवन जीना सिखाया। जीवन तो सभी जीते हैं, किंतु वास्तव में वह सर्वाधिक जीवंत है, जो सबसे अधिक चिंतन और मनन करता है, उसी को सर्वाधिक अनुभव प्राप्त होता है तथा वह समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करता है7 ।

उनका मानना था कि समाज में विद्यमान आर्थिक-सामाजिक असमानता राष्ट्रनिर्माण के लिए सबसे बड़ी बाधा हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जातियों एवं वर्गों में विभाजित भारतीय समाज कैसे एक राष्ट्र के स्वरुप में संकल्पित होगा तथा समाज एवं देश में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता के रहते राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पाएगा। उन्होंने कहा एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जरुरी है, कि सभी वर्गों की समान सहभागिता को सुनिश्चितकरना होगा8 ।

बी. आर. अम्बेडकर के राजनीतिक विचार =

बी. आर. अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में सविधान निर्माण का रहा जो अपनें आप में अद्धितीय एवं अप्रतिम योगदान है। उनके अनुसार, संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था के लिए सिर्फ एक बुनियादी कानून नहीं होता बल्कि यह देश की प्रगति के लिए एक मार्गदर्शक होता है। जो देश की परंपराओं एवं मान्यताओं में सर्वश्रेष्ठ को दर्शाता है, तथा वर्तमान की जरूरतों से निपटने के लिए और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके, और इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सविधान का निर्माण किया गया। उनके अनुसार सविधान एक जीवित अंग होना चाहिए, जो एक या दो पीढ़ियों के लिए नहीं, बल्कि अनवरत आने वाली पीढ़ियों के लिए हो9 ।

संविधान की ड्राफ्टिंग के अगुआ रहे बी. आर. अम्बेडकर का नाम उस समय तक देश के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं के तौर पर गिने जाने लगे थे। क्योकिं संविधान सभा को पता था कि चाहे जितनी सहमतियों और असहमतियों को व्यक्त कर लिया जाय, लेकिन बन रहे नए राष्ट्र की चुनौतियों को समझने की एक गंभीर एवं समग्र दृष्टि केवल भीमराव अम्बेडकर के पास है। इसलिए जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद समेत कई वरिष्ठ सदस्यों के होते हुए भी उनको यह जिम्मेदारी सौपी गयी थी10 ।

उनकी राजनीतिक विचार के रूप में महत्वपूर्ण देन सांवैधानिक प्रावधानों, सविधान निर्माता एवं शिल्पकार, प्रारूप समिति और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उल्लेखनीय तथा सराहनीय रहा है। उन्होंने गरीबों, वंचितों, शोषितों, मजदूरों, दलितों, महिलाओं आदि के विकास के लिए समर्पण भाव, जोश-उत्साह और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम तथा साथ ही उनके सावैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए समाज के सभी शोषित, वंचित वर्गों के लिए निम्नलिखित सवैधानिक प्रावधान किये जैसे -

1. अनुच्छेद 14, 15 एवं 15 (3) के अंतर्गत सभी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अधिकार और समान अवसर का प्रावधान जो बिना किसी भेदभाव एवं असमानता के मिले चाहे वह महिला हो या पुरुष, इसके आलावा अनुच्छेद 32 जिसे सविधान का सबसे अहम् एवं महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इसे सविधान की आत्मा और ह्रदय कहा जिसके बिना सविधान अर्थहीन हैं, साथ ही उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया क्योकि उनको डर था कि राज्य और स्थानीय स्तर पर जातिवाद अधिक सक्रीय था और इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जातियों के हितों की रक्षा नही कर सकती है। अत: इसके लिए एक राष्ट्रीय सरकार का होना बहुत जरुरी है, क्योकि ये सरकार दबाओं से बहुत कम प्रभावित होती हैं, ये सरकार निम्न जातियों का सरक्षण सुनिश्चित करेगी। अनुच्छेद 39 के द्वारा लोगों को आजीविका के लिए समान साधन उपलब्ध करानें तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत लोगों को कार्य करने की मानवीय स्थिति और मातृत्व के लिए सहायता सम्बन्धी अधिकार का प्रावधान किया गया हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 51 (अ) (स) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा और सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने सम्बन्धी अधिकारों की बात की गयी हैं। अनुच्छेद 46-यह लोगों के विशेष देखभाल तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए अधिकार देता हैं। अनुच्छेद 47 - राज्य लोगों के पोषण और उसके जीवन स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाना, आदि। अनुच्छेद 243डी (3), 243टी (3) और 243आर (4) पंचायती राज व्यवस्था में सीटों के आवंटन के लिए प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी सवैधानिक प्रावधान लोगों के कल्याण और समानता, स्वतंतरता के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है, और यह किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है, साथ ही लोकतंत्र के विषय पर उनका मानना था कि यह एक श्रेष्ठ व्यवस्था है, जो स्वतंतरता, समानता और अभिवृद्धि के साथ जीवन जीनें के अवसरों में वृद्धि करता है, उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरुप का समर्थन

किया, जिसमें लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी होता है। हालाकिं भीमराव अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे, क्योकि वो मानते थे कि गाँव में कुछ उच्च जातियों का दबदबा होता था जिसकी वजह से महिलाओं और कुछ वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था नही होनी चाहिए और इसी के परिणामस्वरूप भारत के मूल सविधान में इसका उल्लेख नही किया गया है तथा उल्लेख केवल नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है और बाद में पंचायती राज के विषय में सवैधानिक प्रावधान 73 वें सवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया। उनके अनुसार मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है, लेकिन देशहित और दलित हित में से चुनना हो तो दलित हित चुनेंगें और वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और वो चाहते तो विदेश में शिक्षक की नौकरी एवं एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम का जीवन छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुना। उनके जीवन की एक वास्तविक घटना है कि वो एक पीसीएस अधिकारी थे, वे जब नागपुर नौकरी करनें के लिए आये तो वहाँ रहनें के लिए कमरा चाहिए था जो कि मिल नही रहा था क्योकिं लोग उनको कमरा देनें के लिए तैयार नही थे वो इसलिए कि वे महार जाति ताल्लुक रखते थे और उस समय अछूत के रूप में व्यव्हार किया जाता था और जहाँ भी जाते वहां लोग यही कहते थे कि हम दलित को कमरा नही दे सकते हैं। ऐसा काफी दिनों तक वे परेशान हुए और अंतत: एक स्थान पर कमरा उनको मिला भी तो वो इस आधार पर की मालिक नें उनसे पूछा ही नही कि आप किस जाति से हो और मैनें बताया भी नही की हम दलित हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही कुछ लोग लाठी डंडे लेकर उनके कमरे पर आ गये उनको मारनें के लिए तब किसी नें उनको सुझाव दिया कि आप कमरे के पीछे वाले रस्ते से निकल जाएँ और उन्होंने सलाह मानते हुए वही किया जिससे वे बच गए और इसी प्रकार उनके जीवन की दूसरी घटना स्कूल के दिनों की है, जब वे स्कूल जाया करते थे तो उस समय एकमात्र दलित समुदाय से स्कूल जानें वाले वे एकमात्र व्यक्ति थे, इनके आलावा सभी उच्च जाति से सम्बंधित लोग थे और जब उनको पानी पीना होता था, तो उनके लिए अलग व्यवस्था थी और उच्च वर्गों के छात्रों के लिए अलग थी और इसी दौरान एक घटना घटित होती है, जब एक दिन अम्बेडकर जी का पानी भरनें वाला नही आया और उनको प्यास लगी तो पानी पीनें के लिए उसके आलावा और विकल्प नही था, और वो कई दिनों तक नही आया और जब तक नही आया तब तक उनको पानी पीनें के लिए नही मिला, अत: इन्ही कारणों से उनके मन में चेतना आई और इंसानों में चेतना संघर्ष से ही आती है, उन्होंने यह तय किया की हमें इन समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिलाना है। हिन्दू धर्म के विषय पर उनका मानना था कि मै हिन्दू धर्म में पैदा हुआ और उसी धर्म में रहकर चीजों को ठीक करनें की पूरी कोशिश किया लेकिन कामयाब नही हुआ और अंतत: 1937 महाराष्ट्र में हिन्दू धर्म के परित्याग की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि मै हिन्दू धर्म में पैदा जरुर हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उसमें कोई नियंत्रण नही था, लेकिन उसमें मरूँगा नही क्योंकि यह मेरे नियंत्रण में है. स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान का निर्माण करना भी एक बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए सविधान निर्माण का कार्य पूर्ण किया इसीलिए कहा जाता है कि वो एक महान शख्सियत एवं व्यक्तित्व थे, जिन्हें आधुनिक समय का सविधान निर्माता एवं पथप्रदर्शक कहा जाता है और यदि कोई उनके विचारों को आगे बढानें का थोडा–बहुत प्रयास किया तो वो थे काशीराम थे जिन्होंने नारा दिया था कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी'[11]

इस प्रकार उपरोक्त दिए गये संवैधानिक प्रावधान लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते है, जिसके बिना समाज के लोगों की विकास सम्बन्धी समस्याओं का समाधान ही नहीं किया जा सकता हैं। अत: बी. आर. अम्बेडकर का बहुत सराहनीय योगदान रहा जिनके कारण लोग समाज में एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर सके। भारतीय संविधान में किये मौलिक अधिकारों वर्णन समाज के लिए सम्मानपूर्ण जीवन जीनें के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। भारत तथा भारत के लोगों के लिए 26 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा है। क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान के लागू होने से समाज को एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता जैसी महत्वपूर्ण अधिकार मिले सके जिसकी आवश्यकता हर समाज के लोगों को होती हैं और उन्ही लोगों से समाज, राज्य एवं देश का विकास तथा भविष्य सुनिश्चित होता हैं [12]।

अत: उनका कहना था कि लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि को तब तक अधूरा मानते थे जब तक समाज के सभी वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित नही हो जाती। भारतीय सविधान में दुनिया भर के विभिन्न देशों के सविधान से कुछ न कुछ जरुर शामिल किया गया है। भारतीय शासन व्यवस्था पर उनका मानना था कि अमेरिका में स्थापित अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में इंग्लैंड में स्थापित संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी, क्योकि इस प्रणाली को अपनानें की वजह भारत में यह व्यवस्था पहले से लागू और परिचित थे। इससे भारत में संसदीय प्रणाली अपनानें में आसानी होगी। साथ ही वो भारत के राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन करते हुए कहते है कि 'वे राज्य के प्रमुख हैं, न कि कार्यकारी। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। भारतीय संघ के अध्यक्ष होंगें तथा औपचारिक प्रमुख जो वास्तविक कार्यकारी एवं मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे होंगे। वह उनकी सलाह

के विपरीत कुछ नहीं कर सकता और न ही उनकी सलाह के बिना कुछ कर सकता है [13]।

निष्कर्ष-

इस प्रकार बी. आर. अम्बेडकर समाज सुधारक, कानूनविद, राजनीतिज्ञ मर्मज्ञ, अर्थशास्त्री, वकील, लेखक, चिंतक, दार्शनिक, कानून मंत्री व संविधान निर्माता थे। अत: वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंधकारमय समाज एवं देश के लिए प्रकाश का कार्य और उनका प्रत्येक कार्य समाज और देश के लिए एक प्रेरणा तथा मार्गदर्शक का कार्य किया। वे एक ऐसे महान प्रणेता थे, जिन्होनें मानवता की सेवा की। भीमराव अम्बेडकर समाज के वंचितों, शोषितों, महिलाओं और दलितों आदि के लिए एक सच्चा मुक्तिदाता, महान राष्ट्रीय नेता और देशभक्त के साथ ही साथ एक महान धार्मिक मार्गदर्शक भी थे। जिन्होनें लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किये। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक लम्बी लड़ाई लड़ी और सपनों का भारत बनाने की नींव रखी। अत: वे आधुनिक भारत के अग्रणी निर्माताओं में से एक थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने केवल समस्या ही नही बल्कि उसका समाधान भी बताये। वो जो चिंतन-मनन एवं सोचते थे, वही किया करते थे। उनके बातचीत के तरीके एवं आचरण में साहस और सच्चाई थी। उनकी यही सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं दृढ़ता उन्हें असाधारण एवं अद्धितीय बनाती हैं। वो एक कोरे आदर्शवादी स्वप्नदृष्टा नहीं थे बल्कि वास्तवविकता में दृढ विश्वास रखते थे, उनके इन आदर्श आचरण ही समाज के लिए एक शिक्षा है। उन्होंने मानव जीवन को अविभाज्य मानकर उनकी समग्रता पर बल दिया तथा इस बात पर बल दिया कि जीवन का कोई पक्ष अछूता न रहे। वे समाज के समग्र पक्षों पर उनकी जागरूक एवं समग्र दृष्टि का भाव निहीत था। वे मानव जीवन का मूल्यांकन उसकी आयु की दीर्घता, स्वास्थ्य और केवल धन-संचय या सत्ता के आधार पर ही नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों के आधार पर होता है, जिहोनें सामाजिक उत्थान एवं प्रगति में योगदान किया है। इतिहास लम्बे मानव संघर्ष की कहानी रही है। यह भी सत्य है कि बिना संघर्ष के क्या जीवन, जय-पराजय, मान-अपमान से ऊपर उठकर ही सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में कुछ महान उपलब्धि प्राप्त कर सकता है[14] ।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. गर्ग. ललित, अप्रैल 14, 2020,डॉ. भीमराव आम्बेडकर की सामाजिक, राजनीतिक यात्रा पर एक नजर, https://www.prabhasakshi.com/personality/dr-bheemrao-ambedkar-social-and-political-life
2. मोहन, स्याम, बी & राजू,डेविड., जून 2013, मानव जाति के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन और दर्शन, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, खंड:3, अंक:5,आई.एस.एस.एन.- 2250-1991, पृष्ठ -68.
3. उगादे. एस. एम., अक्टूबर - दिसंबर, 2018, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर कॉन्ट्रिब्यूशन इन एम्पावरमेंट ऑफ डाउनट्रोडेन, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन इंडियन जर्नल ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम- 6; नंबर 4, आई.एस.एस.एन:2454-6852,पृष्ट-10-11.
4. शीनम, निधि., दिसंबर- 2017, अम्बेडकर का आधुनिक भारत में योगदान, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च आइडियाज़ (IJCRT) खंड 5, अंक 4, दिसंबर 2017, ISSN: 2320-2882, www.ijcrt.org.
5. https://www.bbc.com/hindi/india-39591601
6. उगादे. एस. एम., अक्टूबर - दिसंबर, 2018, बी. आर. अंबेडकर कॉन्ट्रिब्यूशन इन एम्पावरमेंट ऑफ डाउनट्रोडेन, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन इंडियन जर्नल ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम- 6; नंबर 4, आई.एस.एस.एन:2454-6852,पृष्ठ-10-11.
7. https://hindi.webdunia.com/inspiring-personality/br-ambedkar117041300058_1.html
8. https://www.bbc.com/hindi/india-39591601
9. डोगरा, बीनू. प्रोफ़ेसर., जुलाई 2016, डॉ. बी. आर. अम्बेद्कर्स थॉट्स ऑन इंडिया नेशनल स्प्रिट्स, (रूसा द्वारा प्रायोजित) 20 जनवरी 2016, दर्शनशात्र विभाग और पी.जी. लोक प्रशासन विभाग पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़ द्वारा आयोजित, आई.एस.बी.एन:978-81-922377-9-4, पहला संस्करण- जुलाई 2016,. पृष्ट -48,
10. https://www.bbc.com/hindi/india-39591601
11. https://www.lokmatnews.in/blog/india/book-review-kanshiram-leader-of-the-dalits/
12. https://www.newsnationtv.com/education/more/sanvidhan-divas-constitution-day-2019-important-role-of-dr-bhimarao-baba-saheb-ambedkar-in-indian-constitution-117427.html
13. शीनम, निधि., दिसंबर- 2017, अम्बेडकर का आधुनिक भारत में योगदान, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च आइडियाज़ (IJCRT) खंड 5, अंक 4,दिसंबर 2017, ISSN: 2320-2882, www.ijcrt.org.
14. https://hindi.webdunia.com/inspiring-personality/br-ambedkar-117041300058_1.html